राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक : प. 9(1)शिक्षा–5/2010 पार्ट

R RTE, 10/7/2014

जयपुर, दिनांक : 17-7-14

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :– आर.टी.ई. के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों के गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा फीस की मांग करने के क्रम में।

संदर्भ :– आपका पत्र सं. शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./सी/पुनर्भरण परिवेदना/18885/जयपुर मण्डल /12–13/वो–II/113 दिनांक 21.05.2014

1443

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके संदर्भित पत्र के संदर्भ में लेख है कि आर.टी.ई. अधिनियम के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों के गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा फीस की मांग के सम्बन्ध में समस्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2014–15 से प्रभावी प्रकिया के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए गए है के बिन्दु संख्या 6(2) के अनुसार "अपूर्ण आवेदन पत्रों अथवा यदि गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर निजी विद्यालय द्वारा बालकों को निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए चयन कर प्रवेश दिया जाता है तो ऐसे प्रवेशित बालकों के सम्बन्ध में उस विद्यालय को पुनर्भरण नहीं किया जावेगा तथा विद्यालय उन बालकों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा"।

इस निर्देश के तहत ही सत्र 2011–12, 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में हुए गलत प्रवेशों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करें।

भवदीय

वरिष्ठ शासन उप सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/पुनर्भरण परि./18885/जयपुर मण्डल/12–13/वो–II/121 दिनांकः– 21/7/14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. उपनिदेशक, प्रारंभिक /माध्यमिक शिक्षा..............................
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा ....को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीनस्थ संबंधित बीईईओ कार्यालयों को भी सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित करें।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा ....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर